



दि. 15/08/12  
अदालत  
पुणे

वि. नं. 15/12/12

पुजा  
राजलक्ष्मी

8119 A

श्रीका 15 विसा कसा करौली मे से  
खं. नं 6869/1 पूर्वी विसा रकवा 1 वीका 8 विसा  
कसा करौली वादी नम्बर 1 राधेश्याम के विसे  
खातेदारी मे रहेगा। एवं खं. नं 6869/2 पश्चिमी  
विसा रकवा 1 वीका 7 विसा कसा करौली  
वादी नं 2 लगापट 7 के खातेदारी व विसे मे  
रहेगा। खं. नं 6903 रकवा 1 वीका 5 विसा  
कसा करौली मे से खं. नं 6903/1 रकवा  
1 वीका 3 विसा कसा करौली प्रतिवादी  
नं. 1 लगापट 4 के विसे खातेदारी मे रहेगा।  
एवं खं. नं 6903/2 रकवा 2 विसा कसा  
करौली वादीगण व प्रतिवादी नं. 1 ग 4 के  
संपुम्क विसे खातेदारी मे रहेगा। जिसका  
उपयोग वादीगण व प्रतिवादी 1 ग 4 राखे के  
लिए भूमि मे आने जाने का करेजे जिसके  
वादीगण का 2/3 विसा व प्रतिवादी नं. 1 ग 4  
का 1/3 विसा व दस्तूर रहेगा। खं. नं 6904  
रकवा 15 विसा कसा करौली मे से खं. नं  
6904/1 रकवा 543/2668 वादी नं. 1 के  
विसे खातेदारी मे एवं खं. नं 6904/2  
रकवा 539/2668 वादी नं 2 ग 7 के विसे  
खातेदारी मे एवं खं. नं 6904/3 रकवा 551/2668  
प्रतिवादी नं. 1 ग 4 के विसे खातेदारी मे  
एवं खं. नं 6904/4 रकवा 276/2668 प्रतिवादी  
नं. 5 के विसे मे एवं खं. नं 6904/5 रकवा  
468/2668 वादीगण व प्रतिवादी नं. 1 ग 4 के  
संपुम्क खातेदारी मे रहेगी एवं खं. नं  
6904/6 रकवा 291/2668 प्रतिवादी नं 6  
के खातेदारी मे रहेगी। इसी अनुसार वादीगण  
व प्रतिवादीगण अपने हक मे राजलक्ष्मी  
विसा कसा करौली मे से खं. नं 6904/7 रकवा 291/2668 प्रतिवादी नं 6 के खातेदारी मे रहेगी।

13/19

एवं एवं नं 6903/2 रकवा 2 विस्वा कस्वा  
 करौली वादीगण व प्रतिवादी नं. 1 गा 4 के  
 संपुक्त दिल्हे खातेदारी मे रहेगा जिसका  
 उपखण्ड वादीगण व प्रतिवादी 1 गा 4 राहतेने  
 लिये भूमि मे आने जाने का केंद्रेजे जिसमे  
 वादीगण का 2/3 दिल्हा व प्रतिवादी नं. 1 गा 4  
 का 1/3 दिल्हा व दल्ला रहेगा एवं नं 6904  
 रकवा 15 विस्वा कस्वा करौली मे से रकवा नं  
 6904/1 रकवा 543/2668 वादी नं. 1 के  
 दिल्हे खातेदारी मे एवं एवं नं 6904/2  
 रकवा 539/2668 वादी नं 2 गा 07 के दिल्हे  
 खातेदारी मे एवं एवं नं 6904/3 रकवा 551/2668  
 प्रतिवादी नं. 1 गा 4 के दिल्हे खातेदारी मे  
 एवं एवं नं 6904/4 रकवा 276/2668 प्रतिवादी  
 नं. 5 के दिल्हे मे एवं एवं नं 6904/5 रकवा  
 468/2668 वादीगण व प्रतिवादी नं. 1 गा 4 के  
 संपुक्त खातेदारी मे रहेगी एवं रकवा नं  
 6904/6 रकवा 291/2668 प्रतिवादी नं 6  
 के खातेदारी मे रहेगी इसी अनुसार वादीगण  
 व प्रतिवादीगण अपने एक मे राजस्व विकारि  
 मे खातेदारी इन्टर अलगा से कामल करके  
 के अधिकारी है। राजीनामा निर्णय मे सेलक  
 गवशा निर्णय न डिही का नुज रहेगा तदनुसार  
 पचर डिही जाये हो। पत्रावली फल्ल शुभाह  
 होकर नुज से कम सेकत दारिबल दफतर हो।

नोट:- निर्णय दिनांक 8-1-19 अथवा नं  
 6869 के त्कान पत्र 6898 लंशोचित  
 किया गया है। एवं एवं नं 6904 के अन्वय  
 से प्रथम किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी  
 करौली (राज०)

उपखण्ड अधिकारी  
 करौली (राज०)

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

11/3/19

पत्रावली आज प्रार्थना वादी गण के आवेदन पर तलक की गई। वही जन के प्रार्थना पत्र धारा 152 CPC पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। तदुपलक्ष्य करौली के मार्गदर्शक पत्र प्रपत्र डिक जो शामिल पत्रावली किया गया प्रार्थना पत्र पर वकील वादी गण के लुका गया प्रार्थना पत्र वादी गण का अदलोकन किया गया एवं पत्रावली का अदलोकन किया गया निर्णय नॉडिडी के रकस नम्बर 6869 के खान पर 6896 संशोधित किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। एवं रकस नं 6904 को वादाय कि प्रथम किया जाता है रक. नं 6904 के पूर्व राजस इन्द्राज कस्तूर स्टेटो कलेक्शन (निर्णय नॉडिडी) में जाल सखी के नोट अंकित किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी  
करौली (राज०)

3668